भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *286

जिसका उत्तर 12.03.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग-32 पर रेल उपरि पुल और रेल अंडरपास से संबंधित परियोजना

*286. श्री दुलू महतो:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धनबाद-बोकारो खंड के निकट सोनारडीह और गौशाला में राष्ट्रीय राजमार्ग-32 पर रेल उपरि पुल/अंडरपास के निर्माण से संबंधित परियोजना को पहले मंजूरी प्रदान कर दी गई थी परंतु बाद में भूमिगत खदानों में आग के संबंध में केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) की रिपोर्ट की टिप्पणियों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था;

(ख) क्या उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग-32 पर वर्तमान में यातायात के दबाव और रेलवे लाइन के संचालन के कारण बार-बार होने वाले अवरोधों के परिणामस्वरूप उक्त खंड में भीड़भाड़ बढ़ गई है और दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त परियोजना को नए सिरे से निविदा आमंत्रित कर एक स्वतंत्र योजना के रूप में पुन: शुरु करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या यातायात की सुरक्षित और सुचारू ढंग से आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अंडरपास या अन्य व्यवहार्य डिजाइनों जैसे वैकल्पिक ढांचे पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यात्रियों, स्थानीय नागरिकों के हित में और धनबाद तथा बोकारो के बीच औद्योगिक संपर्क के लिए कोई अंतिम निर्णय किस समय-सीमा के भीतर लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"राष्ट्रीय राजमार्ग-32 पर रेल उपरि पुल और रेल अंडरपास से संबंधित परियोजना" के संबंध में श्री दुलू महतो द्वारा पूछे गए दिनांक 12.03.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *286 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) जी, हां। सोनारडीह और गौशाला में रेलवे ओवर-ब्रिज (आरओबी) का निर्माण पहले स्वीकृत था, लेकिन बाद में केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) से उस क्षेत्र में भूमिगत खदान में आग के संबंध में प्राप्त आपत्तियों के कारण इसे डी-स्कोप कर दिया गया।

(ख) रेलवे लाइन संचालन के दौरान यातायात की मामूली भीड़भाड़ दर्ज की गई है।

(ग) से (ड.) धनबाद में पुराने एनएच-32 (महुदा-धनबाद शहर-गोविंदपुर खंड) पर प्रभावित फायर जोन क्षेत्र आता है, जिसका रखरखाव वर्तमान में झारखंड राज्यीय राजमार्ग प्राधिकरण (एसएचएजे), झारखंड सरकार द्वारा किया जाता है। इस खंड का वैकल्पिक मार्ग पहले ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा वर्ष 2022 में एनएच-32 (नया एनएच-18) अर्थात् महुदा से राजगंज तक एनएच-2 (नया एनएच-19) पर मिलने वाले के नए खंड के हिस्से के रूप में विकसित किया गया और उसे पूरा कर दिया गया है।

हालांकि, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) की रिपोर्ट के अनुसार फायर जोन क्षेत्र के कारण पुर्नसंरेखित खंड में, रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) सहित 1.5 किमी खंड विकसित / निर्मित नहीं किया जा सका।

आरओबी और उसके पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए नए संरेखण हेतु डीपीआर की संभावना तलाशी जा रही थी। हालांकि, कोयला मंत्रालय ने आग प्रभावित क्षेत्र के बाहर एक नए संरेखण का पता लगाने का सुझाव दिया है और एनएचएआई ने डीजीएमएस से अनुरोध है कि वह आग प्रभावित क्षेत्र का नक्शा और फायर जोन का विवरण प्रदान करे, ताकि डी-स्कोप किए गए आरओबी के निर्माण के लिए नए संरेखण के डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा सके, जो फायर जोन के बाहर स्थित हो। डीजीएमएस से विवरण प्राप्त होने के बाद, आरओबी के लिए नए संरेखण को अंतिम रूप दिया जाएगा।

*****